

## FORM NO. III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला

मुकाम खाजूवाला

राधे याम

बनाम

बुधराम वगै.

किस्म मुकदमा :- प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट  
व 2018/00059

मु.नं. एवं सन 43/18

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
30.01.2020	<p>पत्रावली पे 1 हुई। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है तथा प्रार्थी विरास्तन भूमि में जन्म से ही हिस्सेदार है अतः प्रार्थी के हक-हिस्से व कब्जाका त भूमि पर पूर्व में जारी अंतरिम स्थगन आदे 1 को मूल वाद में फैसले तक स्थायी किया जावे। इस पर राजपेरोकार ने कोई आपत्ति पे 1 नहीं की अतः वादगत भूमि में प्रार्थी के हक हिस्से तक की भूमि के संबध में पूर्व में जारी स्थगन आदे 1 को मूल वाद में फैसले पर स्थायी किया जाता है। पत्रावली फै 1ल सुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।</p>	